

Illustrative list of activities identified as of an immediate nature.

1. Drinking Water Supply :

- i) Repair of damaged platforms of hand pumps/ring wells/ spring-tapped chambers/public stand posts, cisterns.
- ii) Restoration of damaged stand posts including replacement of damaged pipe lengths with new pipe lengths, cleaning of clear water reservoir (to make it leak proof).
- iii) Repair of damaged pumping machines, leaking overhead reservoirs and water pumps including damaged intake – structure, approach gantries/jetties.

2. Roads

- i) Filling up of breaches and potholes, use of pipe for creating waterways, repair and stone pitching of embankments.
- ii) Repair of breached culverts.
- iii) Providing diversions to the damaged/washed out portions of bridges to restore immediate connectivity.
- iv) Temporary repair of approaches to bridges/embankments of bridges, repair of damaged railing bridges, repair of causeways to restore immediate connectivity, granular sub base, over damaged stretch of roads to restore traffic.

3. Irrigation :

- i) Immediate repair of damaged canal structures and earthen/masonry works of tanks and small reservoirs with the use of cement, sand bags and stones.
- ii) Repair of weak areas such as piping or rat holes in dam walls/ embankments.
- iii) Removal of vegetative material/building material/debris from canal and drainage system.

4. Health :

Repair of damaged approach roads, buildings and electrical lines of PHCs/ community Health Centres.

5. Community assets of Panchayat

- a) Repair of village internal roads.
- b) Removal of debris from drainage/sewerage lines.
- c) Repair of internal water supply lines.
- d) Repair of street lights.
- e) Temporary repair of primary schools, Panchayat ghars, community halls, *angarwadi*, etc.

तत्कालिक प्रकृति के कार्यों (कार्यकल्पों) की विस्तृत सूची:-

1. घेब जलापूर्ति:

- I. हैन्डपम्पों के क्षतिग्रस्त सबूतों /रिंगवेल्स/सिंग-टैंक चेम्बरस/पब्लिक स्टैंड पोस्ट/ जल-कुण्डों (Cisterns) की मरम्मत।
- II. क्षतिग्रस्त पाईप लेन्थ (नई पाईप लेन्थ, स्वच्छ जलाशय की सफाई सहित) के प्रतिस्थापन सहित क्षतिग्रस्त स्टैंड पोस्ट का पुनःस्थापन (लीक प्रूफ बनाने हेतु)।
- III. क्षतिग्रस्त पंपिंग मशीन, चूने वाले जलाशय और वाटर पंप (क्षतिग्रस्त इनटेक सहित) की मरम्मत।

2- सड़क:

- I. दरार (Breaches) और सड़क के गड़हे को (Potholes) भरना, जलमार्ग बनाने हेतु पाईप का उपयोग, तटबंधों की मरम्मत और स्टोन पीविंग।
- II. दरारयुक्त टूटे पुलियों की मरम्मत।
- III. तत्कालिक सम्यक स्थापित करने हेतु क्षतिग्रस्त/बह गए पुलों के अंश भाग पर दिक् परिवर्तन (Diversion) बनाना।
- IV. तत्कालिक सम्यक स्थापित करने हेतु पुल/पुल के तटबंधों के समीप अस्थायी मरम्मत, क्षतिग्रस्त रेलिंग ब्रीज की मरम्मत/काऊजवेज (Causeways) की मरम्मत कराना/बातायात को पुनः स्थापित करने हेतु क्षतिग्रस्त सड़क पर ऊई बिछाना।

3. सिंचाई:

- I. क्षतिग्रस्त नहर संरचनाओं की तत्कालिक मरम्मत और नहरों और छोटे जलाशयों का मिट्टी, सीमेंट, बालू के बोरोई एवं चत्तरो से किया जाने वाला मिट्टी/राज मिस्री का कार्य।
- II. बंधा/तटबंध के कमजोर स्थलों पर (यथा पाईपींग या रैट होल्स) की मरम्मत।
- III. नहर और जल निकासी तंत्र से जनस्यति सामग्री/मकान बनाने की सामग्रियाँ/मलबों का बाहर निकालना।

4- स्वास्थ्य:

क्षतिग्रस्त पईचाब पधों/भवनों और लोक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की मरम्मत।

5- पंचायतों की सामुदायिक परिसम्पत्तियाँ:

- (क) गाँव के आंतरिक सड़कों की मरम्मत।
- (ख) Drainage/Sewerage से मलबों को हटाना।
- (ग) आंतरिक जलापूर्ति लाईन की मरम्मत।
- (घ) स्ट्रीट लाईट की मरम्मत।
- (ङ) प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत भवनों, सामुदायिक हॉल, आंगनवाड़ी केन्द्रों इत्यादि की अस्थायी मरम्मत।